प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह उर्फ रामसिंघा उर्फ राम सिंघवा पुत्र श्री तोता यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30968/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.07.2025), दिनांक 01.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह उर्फ रामसिंघा उर्फ राम सिंघवा पुत्र श्री तोता यादव (दिनांक 24.06.2025 तक बंदी की आयु 51 वर्ष) गंभीरपुर, थाना-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। जिला कारागार, गाजीपुर में दिनांक 21.06.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पेप्सी की बोतल में जहरीला पदार्थ देकर 03 बन्दियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-09/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-02, गाजीपुर के आदेश दिनांक 02.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 24.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण बन्दी द्वारा मुक्त होने की दशा में पुनः अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है और उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है ऐसी स्थिति में बन्दी पुनः अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम होने, समयपूर्व मुक्त करने का कोई औचित्य परक आधार नहीं होने, स्थानीय स्तर पर **प्रतिद्वन्दिता** /रंजिश का तथ्य विद्यमान होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जिला कारागार, गाजीपुर में दिनांक 21.06.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पेप्सी की बोतल में जहरीला पदार्थ देकर 03 बन्दियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राम सिंह उर्फ रामसिंघा उर्फ राम सिंघवा पुत्र तोता यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह उर्फ रामसिंघा उर्फ राम सिंघवा (बंदी संख्या-249/2023) पुत्र श्री तोता यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-664/2026/1588(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-664/2026/1588/22-2-2025-17(1044)/2025

दिनांक 04 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सिंह उर्फ रामसिंघा उर्फ राम सिंघवा पुत्र श्री तोता यादव (दिनांक 24.06.2025 तक बंदी की आयु 51 वर्ष) गंभीरपुर, थाना-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। जिला कारागार, गाजीपुर में दिनांक 21.06.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पेप्सी की बोतल में जहरीला पदार्थ देकर 03 बन्दियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-09/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-02, गाजीपुर के आदेश दिनांक 02.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 24.06.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण बन्दी द्वारा मुक्त होने की दशा में पुनः अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है और उसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है ऐसी स्थिति में बन्दी पुनः अपराध करने में शारीरिक रूप से सक्षम होने, समयपूर्व मुक्त करने का कोई औचित्य परक आधार नहीं होने, स्थानीय स्तर पर **प्रतिद्वन्दिता** /रंजिश का तथ्य विद्यमान होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जिला कारागार, गाजीपुर में दिनांक 21.06.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पेप्सी की बोतल में जहरीला पदार्थ देकर 03 बन्दियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राम सिंह उर्फ रामसिंघा उर्फ राम सिंघवा पुत्र तोता यादव को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।